# संकुल स्रोत केन्द्रों में मासिक बैठक हेतु चर्चा पत्र

## डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान

राज्य परियोजना कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़
संपर्क हेतु ईमेल – mis.head@gmail.com

# ''दो बात''

गत माह आप सभी ग्राम/वार्ड सभा के माध्यम से अपने–अपने शालाओं के सोशियल ऑडिट में व्यस्त रहे होंगे। राज्य में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर 47 हजार से अधिक शालाओं की एक साथ ग्रेडिंग की गई। यह ग्रेडिंग का कार्य लगभग 10 दिनों में संपन्न हुआ और जिलों ने समय–सीमा के भीतर इसकी प्रविष्टि भी कर ली गई। राज्य स्तर पर प्राप्त डाटा का विश्लेषण करने पर 16 हजार से अधिक शालाओं को सी एवं डी ग्रेड प्राप्त हुआ है। इन शालाओं में माह अक्टूबर में दिनांक 08 से 21 के बीच विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया गया। यदि आपके संकुल में शालाएँ सी एवं डी ग्रेड में है तो उन शालाओं में सुधार हेतु आपको विशेष ध्यान देना होगा।

अपने संकुलों में सुधार हेतु आपको 20 बिन्दुओं वाले रूब्रिक्स एवं 100 बिन्दुओं वाले चेक लिस्ट को ध्यान से पढ़ना होगा। इन बिन्दुओं में से प्रत्येक पर अपने शालाओं की समीक्षा कर स्थिति में सुधार करने के प्रयास करने होंगे। यह ध्यान में रखेंगे कि इन बिन्दुओं से दिए गए सारे सुधार प्रक्रियागत सुधार है और इनके लिए अतिरिक्त बजट यह संसाधन की उपलब्धता उतनी आवश्यक नहीं होगी। अपने कार्य व्यवहार, सोचने के तरीकों एवं योजना को ठीक से तैयार कर कार्यान्वित करेंगे तो चीजें बड़ी आसानी से होने लगेंगी। ध्यान रखें कि हमें Hard Working से हटकर Smart Working की ओर जाना होगा।

100 बिन्दुओं में जितनी बाते लिखी गई है वे सबके सब कही न कही से गुणवत्ता की ओर आपको लेकर जायेंगे। हमारा यह उद्देश्य है कि कक्षा के 90 प्रतिशत बच्चों को उनके कक्षानुरूप सभी अपेक्षित दक्षताएँ आने लगे। जिले में निरीक्षणकर्ता भी अब केवल मध्यान्ह भोजन एवं उपस्थिति देख कर ही वापस न आ जाएँ, बल्कि गुणवत्ता संबंधी सारे बातों पर ध्यान देते हुए स्थिति में सुधार करें। आगामी ग्रेडिंग 26 जनवरी, 2016 को प्रस्तावित है। इनके अलावा आपके संकुल की सी एवं डी ग्रेड शालाओं में पुनः वे ही जनप्रतिनिधि और अधिकारी पहुंचेगे जो माह अक्टूबर 2015 में इन शालाओं में उपस्थित हुए है। ये आपके शालाओं के सतत सम्पर्क में रहेंगे। आप भी इस बात का ध्यान रखे कि इन शालाओं में हो रहे सुधार कार्यों से इन्हें नियमित रूप से अवगत करायें। इस ग्रेडिंग तक के समय में हमें अपने बच्चों में अपेक्षित दक्षताएँ लाने हेतु आवश्यक प्रयास पूरी तन्मयता से करने होंगे।

बहुत से संकुलों से हमें चर्चा कर फीडबैक मिलने लगा है परंतु आप सभी से अभी और अधिक अपेक्षित है। उम्मीद है कि आप हमें सीधे अपने संकुलों में हो रहे अकादमिक कार्यों के बारे में जानकारी नियमित रूप से भेजने की व्यवस्था करेंगे। माह अक्टूबर के चर्चा पत्र की छायाप्रति सभी शिक्षकों को उपलब्ध कराएँ ताकि इसका अध्ययन कर अपने–अपने शालाओं में कार्य कर सकें।

# अपने संकुल की शालाओं में सुधार हेतु ध्यान देने योग्य बिन्दु

1. **बच्चों की नियमित उपस्थितिः**— कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले बच्चों का आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष का होता है। प्रत्येक शाला में उसके Catchment Area के बसाहटों में रहने वाले 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का अद्यतन रिकॉर्ड रखना चाहिए। इस ग्राम/वार्ड शिक्षा पंजी (Village/Ward Education Register) में सभी बच्चों का विवरण होना चाहिए। शाला को अपने क्षेत्र में अगले वर्ष प्रवेश लेने वाले बच्चे, अप्रवेशी बच्चों एवं शालात्यागी बच्चों की जानकारी रहनी चाहिए। शाला में दर्ज सभी बच्चों को जानकारी नियमित रूप से शाला में रहनी चाहिए। यह देखे कि कहीं बच्चे मध्यान्ह भोजन के बाद गायब तो नहीं हो जाते।

   शिक्षकों एवं शाला प्रबंधन समिति को बच्चों को नियमित शाला लाने हेतु विभिन्न प्रयास करते रहना चाहिए। इस हेतु पालकों से चर्चा, समझाइश, नियमित शाला आने वाले बच्चों के माध्यम को ऐसे बच्चों को लाने के प्रयास किए जा सकते हैं। बच्चों को मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना या नीचा दिखाने से भी बच्चे शाला आना छोड़ देते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। उपरोक्त सभी मुद्दों पर शिक्षकों से चर्चा कर सभी शालाओं में 6—14 आयु वर्ग के बच्चों का अद्यतन रिकार्ड रखने की व्यवस्था करें एवं शाला से बाह्य और अनियमित बच्चों को नियमित शाला में लाने हेतु स्थानीय स्तर पर आवश्यक योजना बनाये।

2. **शिक्षकों की नियमित उपस्थितिः**— यदि शिक्षक शाला आने में अनियमित है तो इसका प्रभाव बच्चों की उपस्थिति पर भी पड़ता है और समुदाय का शाला के प्रति दृष्टिकोण भी गलत हो जाता है। कई बार शिक्षक अपने आपको कहीं और संलग्न करा लेते है या बार—बार कोई काम निकालकर इधर—उधर चले जाते है। कई बार शिक्षक आपस में तालमेल करते हुए छुट्टी में चले जाते है। उनके अवकाश के रिकॉर्ड भी ठीक से संधारित नहीं होते। केवल कुछ शिक्षकों द्वारा ऐसा करने से पूरा समुदाय बदनाम होता है, इन बातों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। एक संकुल समन्वयक के नाते आप बैठक में शिक्षकों को नियमित उपस्थिति हेतु प्रेरित करें एवं शाला भ्रमण के दौरान समुदाय एवं शाला प्रबंधन समिति शिक्षकों की उपस्थिति को समय—समय पर देखने का अनुरोध करें।

3. **शाला प्रबंधन समिति की बैठकों में भूमिकाः**— शाला प्रबंधन समिति सक्रिया रहने से शाला में अपेक्षित सुधार स्वयमेव आने लगता है। कई बार शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों को भी मालूम नहीं होता कि वे समिति में है। गांव/वार्ड में सभी को पता चले कि उनके बीच के कौन लोग शाला प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, उनके नाम बाहरी दीवार में प्रदर्शित करना आवश्यक है। समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण का भी अध्ययन कर चर्चा करे कि शाला में गुणवत्ता सुधार के लिए इन बैठकों में चर्चा आयोजित करना कितना आवश्यक है। आगामी बैठकों के लिए आप अपने शिक्षकों से चर्चा कर कुछ अकादमिक मुद्दे शाला प्रबंधन समिति की बैठकों में रख सकते है। इस हेतु कुछ सुझाव इस प्रकार हैं :—

   - शिक्षकों का अकादमिक Performance/बच्चों के उपलब्धि की समीक्षा/कमजोर परिणाम वाले विषयों एवं बच्चों के साथ आवश्यक कार्य/प्रभावी शिक्षण विधियों का उपयोग/सहायक सामग्री का उपयोग/बच्चों के लिए घर में भी पढ़ने का माहौल।

4. **शाला विकास योजनाः**— शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार प्रत्येक शाला को आगामी तीन वर्षों के लिए शाला विकास योजना तैयार कर उसके अनुरूप कार्य करना होता है। कई बार शाला विकास योजना में केवल निर्माण कार्य या क्रय आदि को प्राथमिकता दी जाती है। गुणवत्ता सुधार के लिए क्या करना है, इसका कोई उल्लेख नहीं होता। कभी—कभी केवल योजना बनाना है, यह सोचकर दस्तावेज तैयार कर लिया जाता है परन्तु उसके अनुरूप कोई कार्यवाही नहीं होती। इन बातों को ध्यान देना होगा और कोशिश करनी होगी कि शालाएँ अपनी वास्तविक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप ही योजना तैयार करें। अपने संकुल की बैठक में सभी शिक्षकों को अपने शाला की शाला विकास योजना लाने को कहें और आगामी तीन वषों के लिए चर्चा कर/सोच—समझ कर अपने बच्चों के लिए ठोस योजना तैयार करवाएँ। यह भी ध्यान रखे कि शाला विकास योजना ऐसी हो जो आसानी से क्रियान्वित हो जाये और शाला की गतिविधिया उसी के अनुरूप फोकस हों।

5. **शिक्षक का बच्चों के साथ व्यवहार/संबंधः**— कानून के तहत अब शिक्षक बच्चों को किसी भी प्रकार से मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना नहीं दे सकते। शिक्षक और बच्चों में अच्छे संबंध होने चाहिए और अध्यापन तनाव रहित माहौल में बिना डर के होना चाहिए। बच्चे अपने शिक्षकों से निःसंकोच शंकाओं का समाधान करने में समर्थ होने चाहिए। संकुल की बैठक में शिक्षकों के साथ चर्चा कर बच्चों के साथ व्यवहार/संबंध सुधारने हेतु आवश्यक कार्यवाहियाँ करें। शिक्षकों को यह सुझाव भी देवे कि वे समय—समय पर पालकों से मुलाकात करें और बच्चों की प्रगति की जानकारी दे।

6. **शिक्षक द्वारा अध्यापन कार्यः**— शाला के अलावा बच्चों को घर पर भी पढ़ाई का वातावरण मिले, इसका भी ध्यान रखे। बच्चों की बैठने की जगह समय—समय पर बदले और उन्हें एक—दूसरे से सीखने एवं समूह में कार्य करने को प्रेरित करें। आजकल शारीरिक/मानसिक रूप से अक्षम विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के भी अन्य बच्चों के साथ पढ़ाने की व्यवस्था है और सभी शिक्षकों को ऐसा पढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण लेना होता है। प्रधानाध्यापक का दायित्व है कि शिक्षकों ने जिन विषयों/कक्षाओं में अध्यापन का प्रशिक्षण लिया है, उन्हे वही कक्षाएँ दें। शिक्षकों को भी माह लिए निर्धारित इकाईयों को समय पर पूरा करना चाहिए। प्रधानाध्यपक को शिक्षकों की कक्षाओं का नियमित अवलोकन कर सुधार हेतु सुझाव देवें साथ स्वयं भी कक्षाएँ लेनी चाहिए। शिक्षकों को स्वयं को अपग्रेड रखने एक—दूसरे से सीखने, टेक्नॉलाजी का उपयोग करने प्रोफेशन लर्निंग कम्युनिटी (PLC) बनानी चाहिए। प्रोफेशन लर्निंग कम्युनिटी के माध्यम से शिक्षक अन्य शालाओं के शिक्षकों/विशेषज्ञों के साथ मिलकर आपस में अपने अनुभव एक—दूसरे से बाँटते हुए अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। शिक्षकों को समय—समय पर कुछ नया करने के बारे में भी सोचते रहना चाहिए। उन्हें पाठ के अंत में दिए प्रश्नों पर निर्भर न रहते हुए स्वयं भी बेहतर प्रश्न बनाने आना चाहिए। सभी को आपस में चर्चा कर टीम भावना के साथ शाला सुधार हेतु प्रयास करते रहना चाहिए। आप यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण लिए हुए शिक्षक उन्हीं कक्षाओं का पढ़ाऐ जिनके लिए उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। संकुल की बैठक में आप शिक्षकों को प्रश्न बनाने की तकनीक की भी जानकारी दें और शिक्षकों से आगामी पाठों के लिए प्रश्न स्वयं बनाने का अवसर देवें। यह सब करने के लिए अपने शिक्षक साथियों के साथ चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करें।

7. **शाला में सीखने का वातावरणः**– शाला के शिक्षकों के साथ चर्चा कर सभी शालाओं में परिसर को आकर्षक बनाने के लिए, पढ़ने–लिखने का माहौल बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा करते हुए उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बच्चों को पढ़ने के लिए एक रीडिंग कार्नर, गणित सीखने –मैथ कार्नर, खेलने हेतु मुखौटे, पढ़ने हेतु वॉल–मैगजीन सभी बच्चों को सीखने हेतु बेहतर वातावरण देते हैं।

बच्चों को प्रारंभिक छोटी कक्षाओं में यदि आस–पास पढ़ने के लिए बहुत सी सामग्री, दीवारों पर भी लिखित सामग्री मिले तो उनके लिए वातावरण प्रिंट–रिच हो जाता है और इससे पढ़ना सीखना आसान हो जाता है। इस हेतु परिसर में उपलब्ध विभिन्न सामग्री के नाम बड़े आकार में हिन्दी, अंग्रेजी, स्थानीय भाषा में लिख कर प्रदर्शित करते हुए बच्चों को यह समझाया जा सकता है कि इन सामग्रियों को वे जिस नाम से बुलाते हैं, वही उनके बाजू में लिखा हुआ है। इससे वे परिसर में उपलब्ध विभिन्न सामग्री को लिखित में धीरे–धीरे पहचानने लगते है, और पढ़ना आसान होने लगता है। सामग्रियों की सूची के उदाहरण आपको चर्चा पत्र के पूर्व के अंक में उपलब्ध कराये गये है।

कक्षाओं के बाहर बच्चों को विषयवार एक माहवार क्या–क्या आना चाहिए, प्रदर्शित करने के निर्देश है। इन्हें अधिगम सूचकांक (Learning Indicator) कहा जाता है। इसे देखकर आप उस माह क्या–क्या होना चाहिए और उन दक्षताओं के आधार पर प्रश्न भी पूछ सकते है। विस्तृत अधिगम सूचकांक SCERT छत्तीसगढ़ के वेबसाईट में उपलब्ध है।

8. **शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना निर्माणः**– शिक्षकों को अपने कक्षा अध्यापन की दैनन्दिनी तैयार करते हुए उसमें उपयोग में लाई जा रही विधियों एवं सहायक सामग्री का उल्लेख करना चाहिए। प्रत्येक इकाई के लिए शिक्षण योजना तैयार कर लेनी चाहिए। यह योजना प्रधानाध्यापक से अनुमोदित होनी चाहिए। अपने संकुल में तैयार एवं उपयोग में लाये जा रहे शिक्षण योजना के प्रारूप एवं कुछ उदाहरण हमें ईमेल से भेजें।

9. **बच्चों का कक्षानुरूप पठन कौशलः**– कक्षा में सभी बच्चों को उनकी पाठ्य–पुस्तकों में गद्य एवं पद्य ठीक से पढ़ना आना चहिए। आपको यह देखना होगा कि सभी बच्चे कक्षानुरूप पठन सामग्री को ठीक से समझ के साथ पढ़ पा रहे है अथवा नहीं। जब भी शाला में जाये तो बच्चों को कुछ सामग्री पढ़ने को देते हुए उनके पठन कौशल की जांच करें। सभी शिक्षक अपने शाला के बच्चों में पठन कौशल विकास हेतु आवश्यक रणनीति तैयार करें।

10. **बच्चों का कक्षानुरूप लेखन कौशलः**– शाला में सभी बच्चों को उनके कक्षानुरूप ठीक से अच्छे हेण्डराइटिंग में लिखना आना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को नियमित रूप से लिखने का अभ्यास करवाएँ। बच्चों के लिए लिखावट को जांचकर यदि त्रुटि पाई जाती है तो उसमें भी सुधार करवाने का प्रयास करें।

आप सभी कक्षाओं के बच्चों को उनके कक्षा के स्तर अनुरूप कुछ लिखने को देकर देखें कि बच्चें ठीक से लिख पा रहे हैं अथवा नहीं।

11. **बच्चों का अभिव्यक्ति कौशलः**— राज्य के समस्त शालाओं में बच्चों के अभिव्यक्ति कौशल के विकास हेतु एक कालखंड लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। बच्चों एवं शिक्षकों से चर्चा कर यह पता करने का प्रयास करें कि इस कालखंड में किस प्रकार की गतिविधि कराई जाती है। बैठक में शिक्षकों के साथ चर्चा कर इस कालखंड के लिए उपयुक्त गतिविधियों की सूची तैयार कर सबकों उपलब्ध कराये।

12. **बच्चों का कक्षानुरूप गणितीय कौशलः**— गणित सीखने के लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। शिक्षक का भी गणितीय ज्ञान बेहतर होना आवश्यक है ताकि वह रोचक तरीके से बच्चों को गणित सिखा सके। शिक्षक के पास गणित सिखाने हेतु पर्याप्त सामग्री एवं किट भी होना चाहिए। बहुत सी सामग्री शिक्षक स्वयं तैयार कर लेते हैं। गणित विषय को रोचक बनाने के लिए अपने संकुल में गणित विषय के शिक्षकों का एक Professional Learning Community बना कर आवश्यक कार्यवाहियां कराएं।

    आप विभिन्न कक्षाओं में अब तक कर लिए गए पाठों में से कुछ पाठों को चुन कर उससे संबंधित प्रश्न सभी कक्षाओं में पूछकर बच्चों से हल करवाते हुए उनक कार्यों के आधार पर निर्णय लेवें।

13. **बच्चों में कक्षानुरूप वैज्ञानिक अभिवृत्तिः**— इस वर्ष राज्य में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को विज्ञान सिखाते समय प्रयोगों के माध्यम से मूलभूत अवधारणाओं को समझाने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप देखें कि वास्तव में शालाओं में शिक्षक अपने आस–पास उपलब्ध साधारण (Low Cost No Cost) सामग्री का उपयोग कर बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रयोग करके दिखा रहे हैं अथवा नहीं। यह भी देखें कि क्या बच्चे भी सरल वैज्ञानिक घटनाओं का वर्णन कर पा रहे हैं अथवा नहीं। इसमें भी शिक्षकों को विभिन्न प्रयोग करने हेतु Professional Learning Community का गठन कर विभिन्न प्रयोगों को Whatsapp के माध्यम से शेयर करें।

14. **बच्चों को कक्षानुरूप आस–पास की समझ एवं सूझबूझः**— शिक्षा से बच्चों को सामान्य ज्ञान, अपने आस–पास की समझ एवं सूझबूझ में विकास होना चाहिए। आप बच्चों से उनकी आयु/कक्षा के अनुरूप कुछ ऐसे प्रश्न करें जिनसे उनकी इस समझ का पता चल सकें। आप मासिक बैठक के दौरान शिक्षकों के साथ मिलकर इन प्रश्नों की जांच के लिए कुछ गतिविधियां एवं प्रश्न तैयार करें। आप बच्चों से स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या आपात स्थिति से निपटने के उपायों पर भी जानकारी ले सकते हैं।

15. **इस वर्ष की त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन का परिणामः**— शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार सभी कक्षाओं से सतत् एवं समग्र मूल्यांकन किया जाना है। इसमें कक्षा अध्यापन के दौरान नियमित रूप से प्रश्न पूछकर बच्चों के सीखने को आगे बढ़ाना होता है। प्रत्येक बच्चों के मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान कर उनमें सुधार हेतु आवश्यक प्रयास करने होते है। सभी बच्चों को व्यक्तिगत रिकॉर्ड अद्यतन रखते हुए पोर्टफोलियो आदि का भी संधारण करना होता है। सतत् समग्र मूल्यांकन (सीसीई) में शिक्षकों को सभी बच्चों की विस्तृत जानकारी होनी

चाहिए और हमेशा बच्चों को अच्छे प्रदर्शन करने हेतु प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। आप यह सुनिश्चित करें कि संकुल की सभी शालाओं में बेहतर तरीके से सीसीई लागू करते हुए बच्चों की उपलब्धि में सुधार हो रहा है।

16. **सहायक शिक्षण सामग्री** (Teaching Learning Material-TLM):– शिक्षकों को अपने पाठ को रोचक एवं सरल बनाने हेतु कुछ सामग्री का उपयोग कर सिखाने का प्रयास करना चाहिए। सहायक सामग्री निर्माण हेतु पहले शिक्षकों को अनुदान राशि दी जाती थी। गत वर्षों में दी गई राशि से तैयार कुछ सहायक शिक्षण सामग्री उनके पास उपलब्ध होगी। शिक्षकों को समुदाय एवं बच्चों से सहयोग लेते हुए भी सामग्री निर्माण कर कक्षा में इनका उपयोग करना चाहिए। बच्चों को भी कक्षा अध्यापन के दौरान सहायक सामग्री के उपयोग कर समक्ष विकसित करने के अवसर दिये जाने चाहिए। अपने संकुल में सभी शालाओं के लिए आगामी माहों के प्रकरण के आधार पर कुछ उपयोगी एवं प्रभावी सहायक सामग्री का निर्माण अवश्य करावें। यह कार्य प्रतिमाह किया जावें और संकुल से इसके उपयोग की निरंतर मॉनिटरिंग हो।

17. **शालेय स्वच्छता एवं अच्छी आदतों का विकास**:– शाला बच्चों को अच्छी आदतों एवं बेहतर नागरिक बनाने में सहयोग करते है। शाला में शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को स्वच्छता, साफ–सफाई की आदत विकसित करने में सहयोग करें। सभी शालाओं में द्रुत गति से शौचालय निर्माण हो गया है अब शालाओं को प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में इनके बेहतर उपयोग एवं रख–रखाव पर ध्यान देना होगा। यह भी देखें कि बच्चे मध्यान्ह भोजन के पूर्व हाथ धोते हैं और पेयजल भी स्वच्छ एवं सुरक्षित है। शालाओं को सभी कक्षाओं में नेलकटर, कंघी, आईना आदि भी संधारित रखने के निर्देश हैं।

18. **शाला में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं बच्चों की सहभागिता**:– शालाओं को चाहिए कि नियमित रूप से विभिन्न खेल, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ आयोजित कर अधिक से अधिक बच्चों को उसमें भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें। यह भी पता करें कि शाला बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए बाहर भेजती हैं और क्या बच्चों ने शाला के लिए कोई पुरस्कार जीता है। विज्ञान, गणित एवं टैक्नॉलाजी के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न गतिविधियों की भी जानकारी लेवें। संकुल की बैठक के दौरान शालाओं में आयोजित किये जाने वाले विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए योजना बनाए।

19. **शाला का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण**:– सभी शाला में निरीक्षण पंजी उपलब्ध होनी चाहिए जिसमें बाहर से अधिकारी शाला का अवलोकन कर अपनी टीप लिख सकें। शाला को चाहिए कि टीप के अनुसार सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। आपको यह कोशिश करनी होगी कि आपके द्वारा अकादमिक सुधार के लिए सार्थक टीप लिखी जाये और राज्य एवं उच्च कार्यालय से प्राप्त सभी अकादमिक निर्देशों का समय पर पालन हो।

20. **गुणवत्ता के बारे में समुदाय का अभिमत**:– सभी शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने शाला प्रबंधन समिति, पालकों एवं समुदाय से बेहतर संबंध स्थापित करें और उन्हें विश्वास में लेकर कार्य करें। इन सब के समक्ष शाला की छाबि अच्छी होनी चाहिए।

**अपने संकुल से इस बार हमें निम्नलिखित जानकारियां अवश्य भेजे ताकि हम आपके उदाहरणों को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान के आगामी योजना में शामिल कर सकें :–**

1. किसी शाला का आदर्श शाला विकास योजना
2. अनुकरणीय शिक्षण योजना प्रारूप
3. शाला प्रबंधन समिति की बैठकों में गुणवत्ता सुधार पर हुई चर्चा के बिन्दु
4. शाला प्रबंधन समिति द्वारा विभिन्न शालाओं में बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति लिए किए जा रहे अनुकरणीय प्रयासों के उदाहरण
5. शालाओं में रीडिंग कार्नर/मेथ कार्नर का गठन एवं उपयोग के संबंध में फोटोग्राफ
6. शाला को प्रिंट रिच वातावरण हेतु किए गए कार्यों का विवरण एवं फोटोग्राफ
7. संकुल में विभिन्न पीएलसी के गठन की जानकारी एवं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण मय फोटोग्राफ (Professional Learning Community)
8. पठन, लेखन, गणितीय एवं विज्ञान कौशल के सुधार हेतु किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का विवरण
9. शालाओं में उपयोग किए जा रहे वॉल मैगजीन का विवरण
10. कक्षाओं के बाहरी दीवारों पर प्रदर्शित अधिगम सूचकांकों का विवरण एवं उपयोग की जानकारी
11. शिक्षकों द्वारा तैयार कर उपयोग में लाए जा रहे विभिन्न प्रकार के सहायक सामग्री (टीएलएम) का विवरण
12. बच्चों को आस–पास की समझ एवं सामान्य जानकारी देने हेतु किए जा रहे विभिन्न प्रयास
13. सीसीई के अतंर्गत किए जा रहे विभिन्न नवाचारी कार्य
14. अभिव्यक्ति कौशल विकास करने वाले कालखण्ड में किए जा रहे विभिन्न कार्यों का विवरण
15. शालाओं में आयोजित किए जा रहे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं की जानकारी
16. शालाओं में खेले जाने वाले विभिन्न स्थानीय खेलों का विवरण
17. कुछ अनुकरणीय निरीक्षण टीप की छायाप्रति जिसमें गुणवत्ता सुधार का उल्लेख किया गया हो
18. शिक्षकों द्वारा किए गए विभिन्न नवाचारों का विवरण
19. बालक शिक्षक संबंध सुधारने हेतु किए जा रहे विभिन्न प्रयास
20. आपके संकुल में गुणवत्ता सुधार हेतु किए जा रहे अन्य नवाचारी उपाय

उपरोक्तानुसार सभी 20 बिन्दुओं पर जानकारी तैयार कर मय फोटोग्राफ 10 दिनों के भीतर ईमेल से mis.head@gmail.com में भिजवाए जाने की व्यवस्था करें। सब्जेक्ट लाईन में चर्चा पत्र का उल्लेख करें।